

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :- निसआआ/राआमं/2012/मु.अ-393 दिनांक :- 10-9-2012

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय एवं  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/अति० मुख्य नगर नियोजक,,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

विषय :- जनहित याचिका क्रमांक 9497/2007 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

जनहित याचिका क्रमांक 9497/2007 में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्विति सुनिश्चित किये जाने हेतु दिनांक 07/09/2012 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एवं दिनांक 08/09/2012 को माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में, सम्पन्न हुई बैठकों में हुए विचार विमर्श के क्रम में, मण्डल की मानसरोवर एवं प्रताप नगर आवासीय योजनाओं के समीप से गुजर रहे, अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र के सीमांकन कार्य सम्पादन में, जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम का सहयोग करने तथा नाला क्षेत्र में हुए अतिक्रमण/अवैध निर्माणों को हटाने के बारे में, माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की पालना हेतु मण्डल अधिकारियों की दो टीमों आदेश क्रमांक ~~382~~ दिनांक ~~10-9-2012~~ द्वारा गठित की गई हैं। उक्त जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की पालना सात दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।


इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

ह०/-  
आवासन आयुक्त.

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपी सूचनार्थ :-

1. मुख्य अभियन्ता, रा०आ०मं०, जयपुर।

  
आवासन आयुक्त.  
M. file